

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 305 / 2011 / कोटा

सहायक आयुक्त,
रामगंजमण्डी, कोटा।

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स सालासर ट्रेडिंग कम्पनी,
रामगंजमण्डी, कोटा।

.....प्रत्यर्थी

अपील संख्या – 2287 / 2012 / कोटा

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट-द्वितीय, रामगंजमण्डी, कोटा

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स प्रवेश कुमार, सोहनलाल,
रामगंजमण्डी, कोटा।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोकरणा,
उप राजकीय, अभिभाषक

..अपीलार्थीगण की ओर से

श्री एम.एल.पाटौदी,
अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक : 08.09.2017

निर्णय

1. अपीलार्थीगण-राजस्व द्वारा ये अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा क्रमशः अपील संख्या 02/वेट/2009-10/झालावाड एवं 02/वेट/2011-12/झालावाड में पृथक-पृथक पारित क्रमशः आदेश दिनांक 15.07.2010 एवं 26.07.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-झालावाड एवं सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय, रामगंजमण्डी (जिन्हें आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पृथक-पृथक पारित क्रमशः आदेश दिनांक 25.03.2009 एवं 11.03.2010 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 23, 24, के तहत आई.टी.सी. एवं विलम्ब शुल्क को यथावत् रखते हुए अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति क्रमशः राशि रूपये 44,800/- एवं 1,18,932/- को अपास्त किया है। विभाग द्वारा शास्ति के बिन्दु पर ये अपीलें प्रस्तुत की गई है।
2. इन दोनों प्रकरणों में विवादित बिन्दु समान होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक संयुक्तादेश से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।
3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आलौच्य अवधियों में प्रत्यर्थीगण ने मैसर्स हीना ट्रेडिंग कम्पनी, रामगंजमण्डी से धनिया का क्रय किया था। इस क्रय पर प्रत्यर्थीगण द्वारा आई.टी.सी. क्लेम किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त आई.टी.सी की जांच में पाया कि प्रत्यर्थीगण द्वारा किया गया क्लेम गलत है, तथा कमिशन पर वैट

लगातार.....2



बिल क्रय किये गये हैं। उनके द्वारा धनियां खरीद एवं विक्रय को अपनी लेखापुस्तकों में भी नहीं दर्शाया गया और ना ही विक्रेता व्यापारी द्वारा जारी बिलों में प्रदर्शित कर राजकोष में जमा करवाया है, इस पर कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थागण द्वारा चाहा गया आई.टी.सी. क्लेम खारिज करके कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण कर पृथक-पृथक आदेश पारित कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेशों के विरुद्ध, प्रत्यर्था व्यवसायी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश द्वारा प्रत्यर्थागण की अपीले आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, आरोपित शास्ति राशि को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर, अपीलार्थी-राजस्व द्वारा ये दोनों अपीलें पेश की गई हैं।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि प्रत्यर्था व्यवहारीगण द्वारा माल (धनिया) की खरीद ना करके सिर्फ बीजक का ही क्रय किया है, जिससे प्रत्यर्थागण की करापवंचन की दुर्भावना सिद्ध होती है। प्रत्यर्थागण द्वारा फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर आई.टी.सी. पुनः क्लेम कर राजस्व को हानि पहुँचाई है। आगे उन्होंने अपने कथन में कहा कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरुद्ध है अतः उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. प्रत्यर्था व्यवहारीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थागण द्वारा वैद्य विक्रय बिलों से माल का क्रय किया है और वैट चुकाया है। उन्होंने तर्क किया कि प्रत्यर्थागण ने किसी भी संव्यवहार को अपनी लेखापुस्तकों से नहीं छिपाया है और ना ही किसी फर्जी बिल के माध्यम से आईटीसी क्लेम किया है। मात्र शपथ पत्र के आधार पर विक्रेता व्यापारी द्वारा जारी किये गये वैट इनवाइस को फर्जी मानकर अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किया जाना विधिसम्मत नहीं होगा, अपने कथन के समर्थन में उन्होने माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय 32 टैक्स अपडेट 11 एवं माननीय कर बोर्ड का निर्णय 35 टैक्स अपडेट 41 के उद्धरण पेश किये। आगे उन्होंने अपीलीय अधिकारी के निर्णय का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

7. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड एवं प्रत्यर्था व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा उद्धरित न्यायिक निर्णयों का ससम्मान अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थागण ने मैसर्स हीना ट्रेडिंग कम्पनी, रामगंजमण्डी से धनिया का क्रय कर इस पर आई.टी.सी. क्लेम किया, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने जांच में पाया कि प्रत्यर्थागण द्वारा किया गया क्लेम गलत है, तथा उनके द्वारा धनिया का क्रय नहीं किया जाकर कमिशन पर वैट बिल क्रय किये गये हैं, साथ ही उन्होंने धनियां खरीद एवं विक्रय को अपनी लेखापुस्तकों में भी नहीं दर्शाया गया और ना ही विक्रेता व्यापारी द्वारा जारी बिलों में प्रदर्शित कर राजकोष में जमा करवाया है।

8. उक्त दोनों प्रकरणों में विक्रेता व्यापारी द्वारा दिये गये शपथ पत्रों के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थागण द्वारा प्रस्तुत बिलों को फर्जी माना है। इन शपथ पत्रों में

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary research techniques. The primary research involved direct observation and interviews with key stakeholders, while secondary research was conducted through a review of existing literature and reports.

The third section provides a detailed analysis of the findings. It identifies several key trends and patterns in the data, which are then compared against the initial hypotheses. The results indicate that there are significant differences between the two groups being studied, particularly in terms of their attitudes and behaviors.

Finally, the document concludes with a series of recommendations based on the findings. These recommendations are designed to address the identified issues and improve the overall performance of the organization. The author suggests that implementing these changes will lead to more efficient operations and better customer satisfaction.

-: 3 :-

1-2. अपील संख्या - 305/2011 एवं 2287/2012/कोटा

मुख्य रूप से यह लिखा गया है कि विक्रेता व्यापारी ने आलौच्य अवधियों में उनके द्वारा प्रत्यर्थागण को माल की कोई डिलीवरी नहीं दी है, उनके द्वारा मात्र आधा प्रतिशत कमीशन लेकर बिल जारी किये गये है, एवं बिलों की राशि का भुगतान जरिये चैक उसके बैंक खाते में जमा हुआ है और उनके द्वारा जारी सेल्फ के चेकों के आधार पर इस राशि को वापस प्रत्यर्थागण द्वारा उठा लिया गया है।

9. प्रत्यर्थागण के अभिभाषक द्वारा दिये गये माननीय न्यायालयों के न्यायिक निर्णयों माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय 32 टैक्स अपडेट 11 एवं माननीय कर बोर्ड का निर्णय 35 टैक्स अपडेट 41 इन प्रकरणों पर लागू नहीं होते, क्योंकि इन न्यायिक निर्णयों में आई.टी.सी. पेश करने में तकनीकी भूल हुई थी, जिस पर शास्ति का आरोपण नहीं किया जा सकता था, परन्तु हस्तगत प्रकरणों में जानबूझकर कर चोरी की मंशा से प्रत्यर्थागण द्वारा विक्रय बिलों का खरीद करके करापवंचन को अंजाम दिया गया, जो कि अपीलीय अधिकारी ने भी अपने अपीलीय आदेश में मानते हुए कर व ब्याज को यथावत् रखा है।

10. अतः उक्त दोनों प्रकरणों में प्रत्यर्थागण की कर चोरी की मंशा जाहिर होने से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को यथावत् रखा जाता है, तथा शास्ति के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलों को स्वीकार किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

मदनलाल मालवीय
(सदस्य)

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both manual entry and the use of specialized software tools. The goal is to ensure that the data is both accurate and easy to interpret.

The third part of the document provides a detailed breakdown of the results. It shows that there has been a significant increase in sales over the period covered by the report. This is attributed to several factors, including improved marketing strategies and better customer service.

Finally, the document concludes with a series of recommendations for future actions. These include continuing to invest in marketing, maintaining high standards of customer service, and regularly reviewing financial performance to identify areas for improvement.

The following table provides a summary of the key data points discussed in the report. It shows the monthly sales figures, the number of transactions, and the average value of each transaction.

Month	Sales (\$)	Transactions	Avg. Value (\$)
Jan	12000	150	80
Feb	15000	180	83
Mar	18000	220	82
Apr	20000	250	80
May	22000	280	79
Jun	25000	320	78
Jul	28000	350	80
Aug	30000	380	79
Sep	32000	400	80
Oct	35000	450	78
Nov	38000	500	76
Dec	40000	550	73
Total	280000	3500	80

The data clearly shows a strong upward trend in sales throughout the year. This is a positive indicator for the business and suggests that the current strategies are effective. However, it is important to continue monitoring the market and adjusting strategies as needed to maintain this growth.